>

Title : Need to amend the forest laws to permit development works in forest areas particularly in Sabarkantha Parliamentary Constituency, Gujarat.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): गुजरात के मेरे साबरकांठा संसदीय क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण आदिवासी इलाकों में देश की आजादी के वक्त की बनी हुयी सड़कें जर्जर तथा खस्ताहाल हैं। लेकिन वन विभाग के आदिम कानूनों के चलते इन सड़कों को दोबारा डामर आदि डालकर बनाने की किसी को अनुमति नहीं है। सड़कों का अच्छी हालत में होना किसी भी क्षेत्र के विकास की पहली शर्त है। सदियों से जंगलों में निवास करने वाले आदिवासियों के जीवनस्तर में कोई गुणात्मक सुधार नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण वहां की सड़कों का अच्छी हालत में नहीं होना है। शायद यही वजह है कि सरकार की आदिवासियों के कल्याण की बहुत सी योजनाएं विफलता की शिकार होती हैं और आदिवासियों के जीवन आंगन में खुशहाली की कोई किरण नहीं पहुंच पाती है। सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद आदिवासी समुदाय की सड़कें दुरूस्त नहीं होने की वजह से जंगली जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। इन्हीं वन कानूनों के चलते आदिवासी बस्तियों में इंदिरा आवास बनाने की सामग्री, पीने के पानी की पाइन लाइन तथा बिजली के खम्भे लगाने की मनाही है। किसी क्षेत्र के विकास के लिहाज से यह मूलभूत सुविधाएं अति आवश्यक हैं।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि पुराने वन कानूनों में मानवीय धरातल पर बदलाव करके बनवासी आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें।